कार्यालय

उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी,पाकुड़

(सेवा गारंटी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग)

आदेश

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गांरटी अधिनियम 2011 (झारखण्ड अधिनियम 20,2011) के आलोक में निर्मित झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली 2011, जो सरकार के संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के ज्ञापांक 7025 दिनांक 15.11.2011 द्वारा संसूचित है, प्रवृत है।

नियमावली के द्वारा सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं के निष्पादन की अवधि प्रक्रिया आदि निर्धारित की गयी है। राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली 2011 आपको पूर्व में उपलब्ध करायी जा चुकी है।

प्रत्येक निधारित सेवा के लिए पदाधिकारी नामनिर्दिष्ट कर दिये गये है। नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी आम जनता की सुविधा के लिए उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे (नियम 7)। इसके लिए नोटिस बोर्ड का प्ररूप निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है:—

प्ररूप —2
(नियम—7 देखिये)
नोटिस बोर्ड का प्ररूप

नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय ....

क्र0	अधिसूचित सेवा	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	सेवाएँ प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय—सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद नाम एवं पता	प्रथम अपील के निराकरण के लिए निश्चित की गई समय—सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पद नाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

1. पदभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम :— ....
2. प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए समय—सीमा :— पदभिहित अधिकारी के विनिश्चय से 30 दिवस के भीतर
3. द्वितीय अपील प्रस्तु करनेके लिए समय—सीमा :— प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय से 30 दिन के भीतर

कृपया अपने आवेदन की अभिस्वीकृति अवश्य प्राप्त करें,

नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, आदेश द्वारा अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मचारी को आवेदन प्राप्त करने और अभिस्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे।

ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति निम्न प्रपत्र में आवेदक को अभिस्वीकृति देगा (नियम 4)।

प्ररूप—1
(नियम—4 देखिये)
झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली, 2011 के अन्तर्गत अभिस्वीकृति का प्ररूप

नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी के कार्यालय का नाम ....

1. आवेदक का नाम एवं पता : ....
2. नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक :— ....
3. सेवा का नाम जिसके लिए आवेदन दिया गया है। :— ....

4. उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये है, :- ....

5. निश्चित की गई समय–सीमा की आखिरी तारीख :- ....

स्थान :–
दिनांक

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोट :– आवेदन क साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु–5 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी,

यदि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो तो अभिस्वीकृति पर उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा तथा ऐसी अभिस्वीकृति में नियत समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

सेवाऐं देने के लिए नियत समय सीमा में लोक अवकाश के दिनों को शामिल नहीं किया जाएगा।

किसी सेवा से इंनकार या विलंब की स्थिति में नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी आवेदन देने वाले व्यक्ति को (क) ऐसा इनकार या विलंब का कारण को (ख) ऐसा इनकार या विलंब के विरूद्ध अपील किये पाने की अवधि सीमा एवं (ग) संबंधित अपीलीय प्राधिकार का उपलब्ध सभी संपर्क सूचना सहित, विवरण–संसूचित करेंगे।

प्रथम अपीलों या द्वितीय अपीलों के लिए कोई शुल्क अगृहीत नहीं किया जाएगा।

कोई आवेदक जो प्रथम या द्वितीय अपील के लिए आवेदन दे रहे है; उनके आवेदन में आवेदक का नाम एंव पता जिनके विरूद्ध आवेदन किया जा रहा है उनका नाम एवं पता, जिस आदेश के विरूद्ध अपील किया जा रहा है उसका सार अपील का आधार, माँगा जा रहा अनुतोष एवं संबंधित अन्य कोई सूचना शामिल की जाएगी।

साथ ही, प्रथम या द्वितीय अपील के समय उनके द्वारा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज की विषय सूची, जिस आदेश के विरूद्ध अपील है, की स्वअभिप्रमाणित प्रतिलिपि, आवेदन में उल्लैखित दस्तावेज का प्रतिलिपियाँ सम्मिलित की जायेगी।

नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी या अपील प्राधिकार द्वारा यदि द्वितीय अपील के लिए आवेदन किया जाता है तो उन्हें दण्ड जमा करने का प्रमाण देना होगा अन्यथा उनका आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रथम एवं द्वितीय अपील के लिए आवेदन की सुनवाई की सूचना पक्षकार को स्वंय या विशेषदूत या निबंधित डाक (पावती सहित) द्वारा संसूचित की जाएगी। सभी परिस्थितियों में संबंधित पक्ष को सुनवाई की तिथि से कम से कम 7 दिन पूर्व संसूचित की जाएगी।

यदि कोई पक्षकार सुनवाई की तिथि को अनुपस्थित रहता है तो यथास्थिति, प्रथम या द्वितीय अपील के लिए आवेदन का विनिश्चय उसकी अनुपस्थिति में किया जा सकेगा या अनुपस्थिति के कारण उसे खारिज किया जा सकेगा।

प्रथम या द्वितीय अपील आदेश खुली सुनवाई में पढ़ा जायेगा एवं अपील आदेश की प्रतिलिपि सभी संबंधित पक्षकारों को दी जायेगी। दण्ड अधिरोपित किये जाने के मामले में ऐसे

आदेश की प्रतिलिपि संबंधित प्राधिकार को उनके वेतन मानदेय/प्रारिश्रमिक से राशि की कटौती के निदेश के साथ चिन्हित की जायेगी।

प्रत्येक स्तर पर सभी मामलो का अभिलेख संधारित किया जायेगा। जिसके लिए प्रपत्र विहित है :–

1. नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्ररूप

प्ररूप–3
(नियम 3 देखिये)
नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्ररूप
नाम निर्दिष्ट अधिकारी के कार्यालय का नाम ....
माह .... वर्ष ....

क्र0	आवेदक का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है।	निश्चित की गई समय–सीमा की आखिरी तारीख	आवेदन स्वीकृत/निरस्त	पारित आदेश का दिनांक एवं वितरण
1	2	3	4	5	6
1					
2					

2. प्रथम अपील अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्ररूप

प्ररूप–4
(नियम 10 देखिये)
पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्ररूप
प्रथम अपील अधिकारी क कार्यालय का नाम ....

क्र0	आवेदक का नाम एवं पता	प्रथन अपील प्रस्तुत करने का दिनांक	उस नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी का पदनाम (कार्यालय के नाम सहित) जिसके विनिश्चय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।	निश्चित की गई समय–सीमा की आखिरी तारीख	अपील में पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण
1	2	3	4	5	6
1					
2					

3. द्वितीय अपील अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्ररूप

प्ररूप–5
(नियम 10 देखिये)
द्वितीय अपील अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्ररूप
द्वितीय अपील अधिकारी क कार्यालय का नाम ....

क्र0	अपीलार्थी का नाम एवं पता	द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का दिनांक	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (कार्यालय क नाम सहित) जिसके विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।	द्वितीय अपील के निराकरण का विवरण क. खारिजी........ ..... ख. शास्ति	शास्ति की वसूली का दिनांक	पुनरीक्षण आदेश का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमवली के तहत दण्ड का प्रावधान भी किया गया है। जो एक मुश्त होगी एवं (500) पाँच सौ रूपये से (5000) पाँच हजार रूपये तक हो सकेगी। यह दण्ड नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी या अपील प्राधिकार के वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक से वसूलनीय होगा। यह दण्ड संबंधित शीर्ष के अर्न्तगत कोषागार में जमा किया

जाएगा तथा चालान की एक प्रति अपीलीय/पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण प्राधिकार को भेजा जाएगा।

अतः निर्धारित अवधि तक सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदन का निष्पादन किये जाने की बाध्यता है। किस सेवा के लिए विनिश्चय पदाधिकारी कौन है, उसके लिए कितनी अवधि निर्धारित है एवं उसके प्रथम एवं द्वितीय अपील पदाधिकारी कौन है, से संबंधित विवरणी जो नियमावली के साथ ही उपलब्ध है, की प्रति इसके साथ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही है।

निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली 2011 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, निर्धारित प्रपत्र में नोटिस बोर्ड एवं अभिलेख पंजी संधारित की जाय एवं इससे संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन अद्योहस्तक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

यह भी निदेश दिया जाता है कि भविष्य में कार्यालय निरीक्षण टिप्पणी में इसका भी उल्लेख किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त

उपायुक्त,
पाकुड़।

ज्ञापांक 27 /सा0सु0, दिनांक 21-1-2012

प्रतिलिपि :– सभी कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/12
उपायुक्त,
पाकुड़

ज्ञापांक 31 / सा0सु0, पाकुड़, दिनांक – 25-1-2012
प्रतिलिपि:– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पाकुड़ को पाकुड़ के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/1/12
सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा कोषांग
पाकुड़।